



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022022-233348
CG-DL-E-11022022-233348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]
No. 605]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

का.आ. 624(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वाणिज्य विभाग की दिनांक 20 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना का.आ. 5317(अ) में संशोधन करती हैं जो निम्नवत है:

एकजिम कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीति शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीति शर्तें
07133190	मूंग [एसपीपी विग्रा रेडिएटा (एल.) विल्जेक के बीन्स]	मुक्त	मद का आयात, लदान के बिल दिनांक 31.03.2022 को या पहले के जारी हुए होने चाहिए तथा आयात की ऐसी खेप के लिए 30.06.2022 को या पहले सीमा शुल्क विभाग से निकासी लेने की आवश्यकता होगी।	प्रतिबंधित	---

अधिसूचना का प्रभाव : मूंग के लिए आयात नीति को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' किया गया है।
इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 14/1/2021-ईपी (एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

S.O. 624(E).—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the the Department of Commerce Notification S.O. 5317(E) dated 20.12.2021 as under:-

Exim Code	Item Description	Existing Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Import policy	Revised Policy Condition
07133190	Moong [Beans of the SPP Vigna Radiata (L.) Wilczek]	Free	Import of the item, Bill of Lading should be issued on or before 31.03.2022 and import of such consignment shall need to be cleared from Customs on or before 30.06.2022.	Restricted	---

Effect of the Notification: Import policy for Moong is revised from “Free” to “Restricted” with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 14/1/2021-EP (Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.